

Order No:- 485L/2020-21



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक-27.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Shri Asaduddin Owaisi** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **403** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020.21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	BABY AMENA NASER SALEH	NASER SALEH ABDULLAH, MOB- 8179714886	2	CRPF, BARKAS
2	POOSA SATVIK	POOSA NAKESH KUMAR, MOB- 9912228034	3	NO.1, GOLLONDA
3	BABY E. VENYA	SUBBA RAO, MOB- 9581422843	1	NO.2, GOLLONDA
4	MOHAMMED ABDUL RAHMAN	MOHAMMED SATTAR AHMED, MOB- 8555839502	1	NO.2, GOLLONDA
5	MOHAMMED SHAHRUKH	MOHAMMED MUJAFFAR ALI, MOB- 9059069049	2	KANCHAN BAGH
6	SHIFAN MOID	REHAN MOID, MOB- 7989302157	2	NO.2, GOLLONDA
7	LIKHITH RUDRA PALLY	MAHESH.R , MOB- 9000228043	1	KANCHAN BAGH
8	SYEDA KEHKASHAN	SYED ARIFULLAH QUADRI, MOB- 9618092896	1	NO.2, GOLLONDA
9	AFFAN MOID	REHAN MOID, MOB- 7989302157	1	NO.2, GOLLONDA
10	REZA FARIYA	NASEERUDDIN SHAIKH, MOB- 9441451699	1	NO.2, GOLLONDA

P. Anshu
क. पृ. उ.
27/8/XX

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Asaduddin Owaisi माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, **HYDERABAD** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

